भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 17

सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

17. **प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों में हाल ही में कोई संशोधन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी राज्यों तथा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को समानता से लागू करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत लाभार्थी अनौपचारिक क्षेत्र से हैं और इस योजना ने किस तरह से रोजगार को औपचारिक बनाने में योगदान दिया है;

(च) महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(छ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है और क्या इसकी प्रभावशीलता को मापने के लिए कोई आकलन किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान को पूरा करने तथा नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर

भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। इस योजना की संक्षिप्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- इस योजना के तहत वे कर्मचारी लाभ पाने के पात्र थे जिनका मासिक वेतन 15,000/- रु. से कम था और जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे तथा उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नहीं था।
- इस योजना के तहत वे कर्मचारी भी लाभ पाने के पात्र थे जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी चली गई थी और जो दिनांक 30.09.2020 तक किसी ईपीएफ पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे।
- भारत सरकार ने ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, दोनों अर्थात कर्मचारियों के देय अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%) अथवा केवल कर्मचारियों के देय अंशदान को 2 वर्ष के लिए वहन किया।
- यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से आरंभ हुई थी तथा पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों का पंजीकरण 31.03.2022 तक किया गया था। इस योजना के तहत दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की अवधि से 2 वर्षों तक इस योजना के तहत लाभ मिलता रहा।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए कर्मचारी को योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे। योजना के शुरु होने से ले कर 31.03.2024 तक, देश में 60.49 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 206385, 690188, 80287 और 1976 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए हैं।

योजना के कार्य-प्रदर्शन की निगरानी के लिए, ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध करायी है जिसके तहत नियोक्ता प्रतिष्ठानों और नए कर्मचारियों को पंजीकृत कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न सह चालान (ईसीआर) के माध्यम से प्रत्येक वेतन-माह के लाभ का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के ईपीएफ/ईपीएस अंशदान के हिस्से का लाभ नियोक्ताओं को ईसीआर जमा करने के समय अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन संबंधी निगरानी हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया था जिसके अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती थी और मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भी योजना की प्रभावी निगरानी की जाती थी।

***